



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 अग्रहायण 1943 (श0)
(सं० पटना 968) पटना, सोमवार, 29 नवम्बर 2021

मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग

अधिसूचना

18 नवम्बर 2021

सं० प्र०प्र०-01/2013 (खण्ड) 345-रा०, 'राजभाषा' त्रैमासिकी में प्रकाशित होनेवाली रचनाओं के लेखकों को मानदेय के रूप में प्रदान की जाने वाली राशि निम्नवत होगी -

1. (क) पत्रिका में प्रकाशित गद्य-रचना- ₹2000/- (दो हजार रुपये) मात्र
(ख) प्रकाशित होनेवाली लघुकथा- ₹750/- (सात सौ पचास रुपये) मात्र (इस शर्त के साथ कि पत्रिका में दो से अधिक लघुकथा प्रकाशित नहीं की जायेगी)
2. (क) पत्रिका में प्रकाशित नियमित कविता- ₹1500/- (एक हजार पाँच सौ रुपये) मात्र
(ख) पत्रिका में प्रकाशित होनेवाली छोटी कविता- ₹500/- (पाँच सौ रुपये) मात्र (इस शर्त के साथ कि पत्रिका में दो से अधिक छोटी कविता प्रकाशित नहीं की जायेगी)

उक्त मानदेय 'राजभाषा', वर्ष-35, अंक-3 तथा अनुवर्ती अंकों के लिए मान्य होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 968-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>